प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 08.06.2026

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चोरी के मामले से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी की कुल 02 घटनाओं का अनावरण

चोरी की एक अदद पीली धातु की लाकेटदार गले की माला, एक जोड़ी पीली धातु का कान का झुमका, पीली धातु की दो अदद अंगुठी, एक अदद पीली धातु की गले की चेन व चोरी का कुल 7100रु0 बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जयप्रकाश दूबे* व प्रभारी एण्टी थेफ्ट सेल *श्री अभिमन्यु सिंह* के नेतृत्व में संयुक्त रुप से गठित टीम द्वारा 03 नफर अभियुक्तगण नाम पता 01. मुजफ्फरुल हसन उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 अबुल हसन निवासी अंसार टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. शमीर पुत्र रसीद अहमद निवासी ग्राम मंझरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 03. मो0 जिसान पुत्र डा0 इरफान निवासी भिटवा टोला हाल मुकाम जनता मार्ग थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को चोरी की एक अदद पीली धातु की लाकेटदार गले की माला, एक जोड़ी पीली धातु का कान का झुमका, पीली धातु की दो अदद अंगुठी, एक अदद पीली धातु की गले की चेन व चोरी का कुल 7100 रु0 के साथ कालिका होटल गली के अंदर रेलवे ट्रैक के पास से दिनाँक 08.06.2026 को गिरफ्तार किया गया ।

अनावरण हुयी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण-

पहली घटनाः- दिनाँक 26.05.2026 को वादिनी श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री राजमन यादव निवासी निवासी डीघा बाईपास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनाँक 11.05.2026 को सपरिवार अपने बहन का लड़का की शादी मे सामिल होने के लिए ग्राम छितौना थाना बेलघाट गोरखपुर चले गये थे, दिनाँक 16.05.2026 को सपरिवार समेत घर वापस आये तो मेन दरवाजा का ताला टूटा हुआ मिला और जब ऊपर फ्लोर पर गये तो देखा की कमरे का ताला टूटा हुआ मिला तथा घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। जब हमने देखा तो हमारे बक्सा, आलमारी व ट्रन्क में रखा हुआ कीमती जेवरात व घर में रखा हुआ पैसा भी जो लगभग 90 हजार था गायब मिला। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 427/2026 धारा 305(a), 331(3), 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दूसरी घटनाः- दिनाँक 02.06.2026 को वादी श्री धर्मवीर श्रीवास्तव पुत्र जयप्रकाश श्रीवास्तव निवासी गाँधीनगर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती द्वारा बावत अपने बहनोई आलोक श्रीवास्तव पुत्र हरीशचन्द श्रीवास्तव निवासी पूर्वी वार्ड नं0 17 खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के दरवाजे व खिड़की का ताला तोड़कर सोने व चांदी के जेवरात व पाँच-छः हजार रुपये तीन अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 463/2026 धारा 305(a), 331(3) बीएनएनस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
01. मुजफ्फरुल हसन उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 अबुल हसन निवासी अंसार टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02. शमीर पुत्र रसीद अहमद निवासी ग्राम मंझरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
03. मो0 जिसान पुत्र डा0 इरफान निवासी भिटवा टोला हाल मुकाम जनता मार्ग थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण:- चोरी की एक अदद पीली धातु की लाकेटदार गले की माला, एक जोड़ी पीली धातु का कान का झुमका, पीली धातु की दो अदद अंगुठी, एक अदद पीली धातु की गले की चेन व चोरी का कुल 7100रु0 ।

***पुछताछ विवरण*-** गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो से पूछताछ किया गया तो बताये कि हम लोग स्मैक का नशा करते हैं तथा नशे के लिए छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं हमारा एक साथी और है, जो हम लोगो के साथ गाँव डीघा में दिनाँक 12.05.2026 को रात्रि में तथा कैलाश नगर में दिनाँक 30.05.2026 की रात्रि में चोरी किया था, चोरी का ज्यादातर कीमती सामान व आभूषण व रुपए हमारे साथी ने अपने पास रख लिया था, बाद में कुछ सामान बेंचकर तथा चोरी में मिले रुपये को हम लोगो मे प्रत्येक को 5-5 हजार रुपए दिया था और दोनो चोरियो के शेष कीमती सामान अपने पास लेकर बंगलौर चला गया है तथा हम लोगो को बताया था कि सामान बेंचकर बाद में रुपए लाकर देगा । डीघा गाँव के घर में चोरी का बरामद कीमती आभूषण जो हम तीनो को अपने हिस्से में मिला था उसे हम लोग यहीं रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियो में छिपा दिए थे आज हम लोग उसी माल को आपस में बाँट कर लेने के लिए यहाँ पर आए थे और सामान भी बांट लिए थे हम लोग कही दूर निकलने की योजना बना रहे थे कि आप लोगो ने आकर हम लोगो को पकड़ लिया ।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगणः-

1. उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 बलराम यादव, का0 आकाश यादव, रि0का0 आशीष यादव ।

2. प्रभारी एण्टी थेफ्ट सेल श्री अभिमन्यु सिंह, हे0का0 आदित्य यादव, का0 वीर बहादुर यादव, का0 अरुण हलवाई ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 331 वाहनों से 3,43,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 08.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 331 वाहनों से 3,43,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।